न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

अपील संख्या – अपील नं0 2011/00190 (254/2011) 223 आरटीएक्ट

हेतराम पुत्र श्यामाराम जाति जाट निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– अपीलान्ट

बनाम

1. किशनलाल
2. कमल कुमार
3. गिरधारी
4. वाचस्पति

पि0 महावीर प्रसाद जाति ब्राम्हण निवासी खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

5. मुस्मात उमा देवी पत्नी स्वर्गीय पतांजली जाति ब्राम्हण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. हेमन्त पुत्र पतांजली जाति ब्राम्हण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
7. रिचा
8. रितु

पुत्रीयान पतांजलि नाबालिग जरिये बली माता मुस्मात उमादेवी बेवा पतांजली जाति ब्राम्हण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

9. मुस्मात सरोज पत्नी स्वर्गीय देवदत जाति ब्राम्हण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
10. सुनील
11. मनीष

पि0 देवदत जाति ब्राम्हण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

12. भूपेन्द्र पुत्र देवदत जाति ब्राम्हण निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर –रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनाक 21.10.2011 उपखण्ड अधिकारी नोहर प्रकरण संख्या 129/2007 किशनलाल आदि बनाम हेतराम आदि

श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री सन्तलाल तिवाड़ी अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट रेस्पो0 सं0 1 ता 4

श्री आनन्द उपाध्याय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 5 ता 12

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

श्री मांगेराम गोदारा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 13

निर्णय दिनांक –07.01.2020

1. प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं0 1 ता 4 /वादीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 188 में वाद पेश कियाकि रोही मौजा मिनकदेसर त0 नोहर के ख0 नं0 8 मिन की 30 बीघा, 13 की 52 बीघा कुल 82 बीघा भूमि भूरा वल्द आसा जाति जाट की खातेदारी भूमि थी। भूरा ने अपनी 82 बीघा भूमि वादीगण व देवदत व पंताजली ने बहिस्सा बराबर दिनांक 03.05.73 को खरीद की थी खरीद के वक्त से काश्त करते एवं रकम राज अदा करते रहे होने का कथन किया। साथ ही कथन किया कि पैमाईश में हाल ख. नं. 8 की 30 बीघा के नये खसरा नं. 134 की 15–15 बीघा में परिवर्तित हो गई। इस 15–15 बीघा में वादीगण प्रतिवादी नं. 2 ता 9 काबिज हैं। प्रतिवादी नं. 1 ने ये कृषि भूमि बिना अधिकार अपने नाम दर्ज कर ली। उक्त इन्द्राज वादीगण के हकूक के प्रति शून्य व प्रभावहीन है। वादीगण विवादित भूमि को हिस्से ठेके पर देते हैं पिछले 2 साल से प्रतिवादी नं. 1 को हिस्से पर दी हुई थी तथा इस साल अच्छी फसल होने पर हिस्सा मांगा तो प्रतिवादी नं. 1 ने कहा कि उक्त भूमि उसकी स्वयं की है और वह खातेदार काश्तकार है और वादीगण का हक व हिस्सा नहीं है। प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादी नं. 1 का नाजायज कब्जा है तथा वादीगण फसल का हर्जाना पाने के अधिकारी हैं व कब्जा पाने के अधिकारी हैं। वादीगण ने मुताबिक वाद वादीगण डिक्री करने का अनुतोष मांगा।
2. प्रतिवादी सं0 1/ अपीलाण्ट ने जवाब दावा पेश किया कि वादीगण विवादित भूमि के किसी श्रेणी के टिनेन्ट नहीं है तथा वाद वादीगण मैन्टेबल नहीं है। भूमि वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी सं0 2 ता 9 के कभी भी कब्जा काश्त में नहीं रही। विवादित भूमि सन् 2012 यानी राजस्थान काश्तकारी धिनियम सन् 1955 लागू होने के वक्त से प्रतिवादिया नं. 1 के कब्जा काश्त में चली आ रही है। प्रतिवादी नं. 1 ने वाद वादी खारिज करने का कथन किया। विचारण न्यायालय ने दावा एवं जवाब दावा के आधार तनकियात कायम की और वाद वादी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.10.2011 के द्वारा डिक्री किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
3. **उभयपक्ष की बहस सुनी गई।**
4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री खिलाफ कानून नियम विरूद्ध तथा काबिल मंसूखी

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

है। पत्रावली पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का सही विश्लेषण नहीं किया। वादी ने तनकीयात को किसी प्रकार दस्तावेजी व जबानी साक्ष्य से साबित नहीं थी तथा प्रतिवादी नं. 1 अपीलाण्ट ने अपने जुम्मे तनकीयात को भली भान्ति साबित की थी फिर भी दावा वादीगण डिक्री कर दिया जो किसी प्रकार डिक्री के योग्य नहीं है। रेस्पोडेण्ट का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है तथा कब्जा के अभाव में रेस्पोडेण्ट को इस्तकरार हक का वाद लाने का अधिकार नहीं था। भूरा वल्द आसा जाति जाट का साबिका खसरा नं. 8 में कहीं कब्जा नहीं था तथा उसके नाम साबिका खसरा नं. 8 में किला पैमाईश गलत गिरदावरी दर्ज कर दी तथा उसी के आधार पर उसके नाम गलत अंकन जमाबंदी कर दिया तथा जब सम्वत 2020 में मौका पर पैमाइश हुई तो साबिका ख. नं. 8 में वास्तविक काश्तकारों के नाम उनके कब्जा काश्त में मुताबिक दर्ज हुई तथा भूरा पुत्र आसा का साबिका ख. नं. 8 में 30 बीघा भूमि थी तथा उसके नाम कब्जा पैमायश से पहले होने के कारण 15–15 बीघा भूमि कतई सही दर्ज हुई थी। भूमि अपीलाण्ट के कब्जा में है उक्त भूमि से भूरा पुत्र आसा का कोई सरोकार नहीं था, जिसमें कहीं भूरा पुत्र आसा का कब्जा नहीं था इसलिए उसका नाम पैमाईश में कहीं दर्ज नहीं हुआ तथा ना ही उसने पैमाईश में या बाद में कोई एतराज पेश किया भूरा पुत्र आसा द्वारा निष्पादित बैयनामा दिनांक 03.05.73 को दिखावटी है तथा उक्त बैयनामा के आधार पर ना तो वादीगण को कभी कब्जा मिला और ना ही अब मिल सकता है। रेस्पोडेण्ट दिखावटी बैयनामा के आधार पर कोई कब्जा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है उक्त भूमि पर सन 1973 से पहले व 1973 से लेकर 2007 तक अपीलाण्ट का कब्जा रेस्पो0 मानते आ रहे हैं। इनका हक राजस्थान कातश्कारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बाई इफ्लेक्स ऑफ टाईम खत्म हो चुका है तथा प्रतिवादी अपीलाण्ट में वेस्ट हो चुका है तथा वादीगण रेस्पे0 के खिलाफ मामला एस्टोपल का सिद्धान्त आरिज होता है। विवादित भूमि 56–57 वर्षों से प्रतिवादी नं. 1/अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में चली आ रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ऐसी कोई रेमेडी उपलब्ध नहीं है जो प्रतिवादी अपीलाण्ट विवादित भूमि से बेदखल कर सके तथा बेदखली की मियाद 12 वर्ष है तथा अपीलाण्ट के नाम 56–57 वर्षों से राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि दर्ज है फिर भी मातहत अदालत ने अपीलाण्ट को बेदखल कर कब्जा वादीगण रेस्पोडेण्ट को दिलाने का आदेश दिया है जो कतई कानूनी प्रक्रिया के खिलाफ है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 4 ने अपनी बहस में कथन कियाकि रोही मौजा मिनकदेसर त0 नोहर के ख0 नं0 8 मिन की 30 बीघा भूमि भूरा वल्द आसा जाति जाट की खातेदारी भूमि थी। भूरा ने अपनी 82 बीघा भूमि वादीगण व देवदत व पंताजली ने बहिस्सा बराबर दिनांक 03.05.73 को खरीद की थी खरीद के वक्त से काश्त करते एवं रकम राज अदा करते रहे हैं। पैमाईश में हाल ख. नं. साबिका 8 के नये ख. नं. 134 की 15–15 बीघा में परिवर्तित हो चुकी है। प्रतिवादी नं. 1/अपीलाण्ट ने पैमाईश के अधिकारियों व कर्मचारियों से साजिशाना कार्यवाही कर वादीगण/रेस्पो0 ने अपने नाम बिना अधिकार अपने नाम दर्ज कर दी जो वादीगण के हकूक के प्रति शून्य व प्रभावहीन है। वादीगण विवादित भूमि को हिस्से ठेके पर देते हैं पिछले 2 साल से प्रतिवादीया नं. 1 को हिस्से पर दी हुई थी तथा इस साल अच्छी फसल होने पर हिस्सा मांगा तो प्रतिवादी नं. 1 ने कहा कि उक्त भूमि उसकी स्वयं की है, वह खातेदार काश्तकार है और वादीगण का कोई हक व हिस्सा नहीं है। वादीगण ने प्रश्नगत भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 9 को वाद में वर्णित हिस्सा अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं व नाम दर्ज करने एवं प्रतिवादी सं0 1 को प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने का अनुतोष मांगा जो विचारण न्यायायल ने स्वीकार किया है। हमने रजिस्टर्ड बैयनामे से भूमि खरीद की थी, खसरा मिलान क्षेत्रफल पेश किया, अन्य दस्तावेजात पेश किये हैं, बैयनामा किसी भी अदालत द्वारा निरस्त नहीं किया गया है। अतः विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट को अपील करने का कोई अधिकार नहीं है।

6. रस्पोडेण्ट संख्या 5 ता 12 के अधिवक्ता ने अपीलाण्ट की बहस का समर्थन करते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का कथन किया।

7. रेस्पो0 सं0 13 के राजकीय अधिवक्ता ने विधि अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

9. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 4 का अधिकारों की घोषणा एवं बेदखली का वाद था जिसमें उनका कहना है कि रोही मौजा मिनकदेसर त0 नोहर के ख0 नं0 8 मिन की 30 बीघा, 13 की 52 बीघा कुल 82 बीघा भूमि भूरा वल्द आसा जाति जाट की खातेदारी भूमि थी। भूरा ने अपनी 82 बीघा भूमि वादीगण व देवदत व पंताजली ने बहिस्सा बराबर दिनांक 03.05.73 को खरीद की थी खरीद के वक्त से काश्त करते एवं रकम राज अदा करते रहे होने का कथन किया। साथ ही कथन किया कि पैमाईश में हाल ख. नं. 8 की 30 बीघा के नये खसरा नं. 134 की 15–15 बीघा में

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

परिवर्तित हो गई। इस 15–15 बीघा में वादीगण प्रतिवादी नं. 2 ता 9 काबिज हैं। प्रतिवादी नं. 1 ने ये कृषि भूमि बिना अधिकार अपने नाम दर्ज करवा ली। उक्त इन्द्राज वादीगण के हकूक के प्रति शून्य व प्रभावहीन है। वादीगण विवादित भूमि को हिस्से ठेके पर देते हैं पिछले 2 साल से प्रतिवादीया नं. 1 को हिस्से पर दी हुई थी तथा इस साल अच्छी फसल होने पर हिस्सा मांगा तो प्रतिवादी नं. 1 ने कहा कि उक्त भूमि उसकी स्वयं की है। वह खातेदार काश्तकार है और वादीगण का हक व हिस्सा नहीं है। प्रश्नगत भूमि पर प्रतिवादी नं. 1 का नाजायज कब्जा है तथा वादीगण फसल का हर्जाना पाने के अधिकारी हैं व कब्जा पाने के अधिकारी हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट का वाद स्वीकार किया है।

10. वाद के उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि 82 बीघा भूमि भूरा वल्द आसा जाति जाट कि खातेदारी भूमि थी जिसे वादीगण व देवदत व पतांजली ने ब0हि0.ब0 को 03.05.1973 को खरीद करना बताया है लेकिन **अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मं जमाबदी संवत 2012 से 15 में प्रदर्श–1 संलग्न है जिसमें प्रश्नगत भूमि भूराराम के नाम 82 बीघा भूमि दर्ज है। नकल रजिस्टर फहरिश्त हकदारान ग्राम मिनकदेसर जमाबंदी संवत 2035 जो कि प्रदर्श–3 संलन है जिसके कॉलम संख्या 4 मं काश्तकार का नाम के कॉलम मं हेतराम वल्द श्यामा कौम जाट का नाम दर्ज है।**

11. रेस्पोडेण्ट ने साबिका ख0 नं0 8 की 30 बीघा हाल खसरा नं0. 134 की 15–15 बीघा भूमि <u>प्रतिवादी/अपीलाण्ट</u> द्वारा नाजायज रूप से अपने नाम दर्ज करवाने का आधार लिया है। वादीगण का प्रश्नगत भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। **कब्जा <u>अपीलाण्ट/प्रतिवादी</u> सं 1 का है। रेस्पोडेण्ट यह यह स्पष्ट नहीं कर पाया कि प्रश्नगत भूमि उसकी खरीदशुदा है तो उस पर उसका कब्जा काश्त क्यों नहीं हुई है।**

12. **अधीनस्थ न्यायालय में तनकी नं. 2 महत्वपूर्ण है कि "ख. नं. 8 की 30 बीघा भूमि के नये खसरा नं. 134 की 15.15 बीघाभूमि मं परिवर्तित हुई जिस परषादीगण व प्रतिववादीगण सं0 2 ता 9 काबिज है"–वादी। यह तनकी वादी को साबित करनी थी। विचारण न्यायायल ने प्रदर्श–4 ए से यह प्रमाणित माना है कि उक्त भूमि भूराराम की खातेदारी थी। भूराराम द्वारा उक्त बैयनामा के द्वारा वादीगण व प्रतिवादीगण नं0 2 ता 7 के मुतवफी पतांजली व देवदत की खरीदशुदा है। इसी विवेचन स्वरूप उक्त तनकी का निर्णय किया जाता है।" इस तनकी के निर्णय से यह स्पष्ट नहीं होता है है कि यह तनकी किसके पक्ष में साबित की गई है। यहां तनकी का स्पष्ट निर्णय अपेक्षित था।**

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

13. इसी प्रकार तनकी सं0 4 यह थी कि "आया वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं0 1 को हिस्से ठेके पर दी थी जिसमें 2007 में भूमि खाली करने से इन्कार कर दिया और नाजायज कब्जा कर लिया है–वादी। इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी पर था। तनकी के पक्ष में विचारण न्यायायल ने यह माना है कि " वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी नं. 1 को हिस्से पर काश्त दी या नहीं दी थी का साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस तनकी को रेस्पोडेण्ट के पक्ष में साबित होना माना है जो उचित नही है।

14. तनकी नं. 11 में विचारण न्यायालय ने नकल खसरा गिरदावरी सं0 2012 से 15 के कॉलम से0 में भूरा की भूमि होना प्रमाणित माना है आगे गिरदावरी में भूरा बदस्तूर है किन्तु नीचे गहरी स्याही से संवत 2012, 2013, 2014 में बेकाश्त हेतराम वल्द श्यामा दर्ज पाया है तथा वर्तमान में भी कब्जा वादीगण के दावा के अनुसार प्रतिवादी नं. 1 का होना प्रमाणित माना है। हमारी विनम्र राय में इससे स्पष्ट है कि संवत 2012 में हेतराम के नाम काश्त दर्ज होने के कारण एक यह तनकी कायम की जानी चाहिए थी कि संवत 2012 में हेतराम प्रतिवादी सं0 1 हेतराम का नाम अंकन होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 15 व 19 के तहत प्रतिवादी सं0 1 के खातेदारी अधिकार स्वतः कायम होते हैं या नहीं। यह तनकी कायम नहीं की गई है जो अपेक्षित थी।

15. हमारे विनम्र मताअनुसार प्रस्तुत दस्तावेजात अनुसार अपीलाण्ट प्रश्नगत भूमि वास्तविक काश्तकारों के नाम उनके कब्जा काश्त में मुताबिक दर्ज तथा प्रश्नगत भूमि अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में है जो सम्वत 2012 से पहले काबिल काश्तकार थी तथा जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू हुआ उस समय अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में थी के संबंध में उभयपक्षों से साक्ष्य लेकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जाना उचित है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

16. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 21.10.2011 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायलाय को उपरोक्त विवेचनानुसार पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.02.2020 को उपस्थित हों। अधीनस्थ न्यायालय का

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

17. निर्णय आज दिनांक 07.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

(आशाराम डूडी आर.ए.एस)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.02 13:10:39 IST
Reason: SelfAttested
Location: